न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 87/2025

प्रदीप सिंह शेखावत पुत्र गोविन्द सिंह निवासी ए–34ए, विवेकानन्द कॉलानी, नयाखेडा, अम्बाबाडी जयपुर राज. पिन 302023 ––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 28.10.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑन–लाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 15.08.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक में मैं. शौर्य बिजनेस इंडिया लि. भीलवाड़ा द्वारा खातेदारी भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु दर्ज भूमि (कस्बा टोक के खसरा नंबर 6492 रकबा 11–18 बीघा खसरा नम्बर 6493 रकबा 1–10 बीघा, खसरा नम्बर 6494 रकबा 1–11 बीघा, खसरा नम्बर 6495 रकबा 8–16 बीघा खसरा नम्बर 6496 रकबा 2–00 बीघा, खसरा नम्बर 6497 रकबा 1–04 बीघा, खसरा नम्बर 6498 रकबा 5–08 बीघा, खसरा नम्बर 6499 रकबा 4–17 बीघा, खसरा नम्बर 6500 रकबा 1–16 बीघा, खसरा नम्बर 6501 रकबा 6–19 बीघा, खसरा नम्बर 6496/7205 रकबा 0–01 बीघा एवं खसरा नम्बर 6496/7216 रकबा 0–01 बीघा कुल किता–12 कुल रकबा 46–10 बीघा भूमि एवं ग्राम सेवारामपुरा तहसील टोंक के खसरा नम्बर 38 रकबा 0–15 बीघा, खसरा नम्बर 39 रकबा 0–12 बीघा एवं खसरा नंबर 41 रकबा 5–00 बीघा कुल किता–3 कुल रकबा 6–07 बीघा भूमि इस प्रकार कुल किता 15 कुल रकबा 52–17 बीघा भूमि) को पुनः कृषि भूमि में दर्ज करने के बारे में चाही गई सूचनाओं की बिन्दुवार जानकारी मय दस्तावेज प्रमाणित प्रति में उपलब्ध करावें–

1. यह है कि उपरोक्त भूमि के संबंध में दिनांक 12.03.2024 को पत्र कमांक एफ12–3 () राजस्व / आवंटन /2023/1579 की सत्यापित प्रतिलिपि एवं इसके पश्चात प्राप्त जवाब से आज दिनांक तक किए गए पत्र व्यवहार/नोटिस मय नोटशिट सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. यह है कि उपरोक्त कंपनी द्वारा कार्यालय जिला कलेक्टर से किये गये पत्र व्यवहार एवं विभाग द्वारा कंपनी को जारी नोटिस और दिये गये जवाबों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
3. यह है कि उपरोक्त भूमि के संबंध में आपके कार्यालय को प्राप्त शिकायतें एवं उस संदर्भ में किए गए पत्र व्यवहार / नोटिस / जवाबों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
4. यह है कि 99 वर्ष की लीज पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त भूमि के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तो की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

734

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1872 दिनांक 24.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 916 दिनांक 9.10.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से संबंधित होने से उनके पत्र कमांक 887 दिनांक 29.09.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया तथा प्रार्थी को पत्र कमांक 888 दिनांक 29.09.2025 से सूचित किया गया है। प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1975 दिनांक 10.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 8382 दिनांक 13.10.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्र कमांक 8206 दिनांक 10.10.2025 से भिजवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक